

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला योजना कार्यालय)

पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना 07/2017-18

माननीय सांसद श्री शरद यादव (राज्यसभा) द्वारा खेल सामग्रियों के अनुशंसा के आलोक में सामग्रियों की क्रय हेतु मुहरबंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में आमंत्रित किया जाता है। टंकित एवं मुहर बंद निविदा दिनांक 26.08.2017 के 12 बजे मध्यहान तक जिला योजना कार्यालय, मधेपुरा में प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन अपराह्न 01:00 बजे जिलास्तरीय क्रय समिति के सदस्यों एवं उपस्थित निविदादाताओं/ अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष सभी प्राप्त टंकित मुहरबंद निविदाओं को खोली जायेगी। निविदा की शर्तें मधेपुरा जिला के वेबसाईट <http://madhepura.bih.nic.in> से प्राप्त की जा सकती है।

आपूर्ति की जानेवाली खेल सामग्रियों का नाम निम्नवत है:-

क्रमांक	खेल सामग्री	संख्या	साईज
1	विलयर्ड्स बोर्ड (सेट सहित)	01	National Standard Size
2	कुश्ती मेट (सेट सहित)	01	12m× 12m×70mm with cover (Branded)
3	कबड्डी मेट (सेट सहित)	250	1 MTR× 1 MTR=35mm, Interlocking system with high grip, Compressive hardness 1.6kgf/cm3, Density 90-100 kgs/cbm , with cover (Branded)

३०
जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा के साथ प्रतिभूति की राशि जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा के पदनाम से किसी राष्ट्रीय कृत बैंक पर भुगतये राशि 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा अस्वीकृत होने के उपरांत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संबंधित को वापस कर दिया जायेगा।
2. निविदा के साथ अद्यतन जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र एवं निर्धारित मानदंड के अनुसार अद्यतन प्रतिवेदन।
3. सामग्रियों का दर ऑनलाईन दर, संवेदकीय लाभांश, अन्य सभी मान्य कर एवं परिवहन व्यय जोड़कर तय किया जायेगा।
4. निविदादाता को निविदा के साथ निबंधित प्रतिष्ठान/विक्रेता का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
5. वित्तीय निविदा में निविदादाता को निविदा में अंकित सामग्रियों के प्रति ईकाई दर सहित देना होगा।
6. निविदा के साथ विगत तीन वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता द्वारा संबंधित फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा के साथ सभी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा साथ ही निविदा के समय अभिप्रमाणित प्रति की मूल प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है कि इस निविदा में अंकित सभी शर्तें मान्य हैं।
10. तकनीकी एवं वित्तीय अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद/सीलबंद कर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना होगा।
11. जिन निविदादाता के तकनीकी निविदा में सभी वांछित कागजात संलग्न होगा उन्ही के वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा, शेष के वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
13. निर्गत आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्ति किये गये सामग्रियों की जांच महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा के भौतिक सत्यापन/जिला खेल-कूद पदाधिकारी से जांच संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर सामग्रियों को स्वीकार एवं भुगतान किया जायेगा।
14. स्वीकृत न्यूनतम दर पर संबंधित निविदादाता/आपूर्तिकर्ता के साथ एकरारनामा करने के उपरांत आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।
15. आपूर्ति किये गये सामग्रियों के अधिष्ठापन के उपरांत एक वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
16. किसी भी या सभी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
17. खेल सामग्री की विशिष्टता एवं गुणवत्ता निबंधित प्रतिष्ठानों यथा Shivnaresh, Fila, Eagle Sports, Rainbow Enterprise एवं British अथवा इसके समतुल्य ब्रांड का उपकरण मान्य होगा।

३०
जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक 645 / जि0यो0 मधेपुरा दिनांक 05.08.2017

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

०३/०८/१७
जिला योजना पदाधिकारी
मधेपुरा।